



# कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

E-Mail :- deanshahdol@gmail.com ,  
Website :- www.gmcshahdol.org

Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674  
Office No. :- 07652-243000

क्रमांक.....1249/स्था./चि.म.वि./शहडोल/2019

शहडोल, दिनांक ०४/०६/2019

//पुनः विज्ञप्ति सूचना//

1. म०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53 /2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के आधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक-ट्यूटर के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए आवेदन दिनांक 22.06.2019 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट WWW.GMC SHAHDOL.ORG एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चौपा शहडोल (म.प्र.) पिन 484001में जमा कराये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में "शैक्षणिक संवर्ग हेतु" आवेदन एवं विषय ..... तथा आवेदित पद का नाम ..... और अनारक्षित / आरक्षित श्रेणी .....का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. जिन अभ्यर्थियों के आवेदन दिनांक 22.06.2019 सायं 05 बजे तक कार्यालय में जमा होंगे उन अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 25.06.2019 को प्रातः 11:00 बजे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सम्पन्न किया जावेगा। साक्षात्कार दिनांक 26.06.2019 प्रातः 10:00 बजे से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) पिन 484001 में सम्पन्न कराया जावेगा। यदि अपरिहार्य कारण से उपरोक्त तिथि पर साक्षात्कार नहीं हो पाता है तो आगामी तिथि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की वेबसाइट पर सूचित की जावेगी।
5. उक्त विज्ञप्ति की अर्हताएं, निर्हताएं व शर्तें पूर्व में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रहेंगी।

  
07/6/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)



# कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)



E-Mail :- deanshahdol@gmail.com ,

Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674

क्रमांक 1249/स्था./चि.म.वि./शहडोल/2019

शहडोल, दिनांक 08/06/2019

/ /पुनः विज्ञप्ति सूचना / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त पदों की गणना एम.सी.आई. के 1<sup>st</sup> Renewal (II<sup>nd</sup> LOP) मापदण्डानुसार के अनुसार कार्यरत पदों को घटाकर की गई है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

स.क्र.	विभाग	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक-ट्यूटर			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
01	Anatomy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
02	Physiology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
03	Biochemistry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
04	Pharmacology	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
05	Pathology	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06	Microbiology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
07	Forensic Medicine	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
08	Community Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
09	General Medicine	1	-	-	-	2	-	1	-	1+1F	1	-	1	-	-	-	-
10	Pediatrics	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
11	TB& Chest	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
12	Dermatology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Psychiatry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	General Surgery	1	-	-	-	2	-	1	-	1F	1	1	1	-	-	-	-
15	Orthopedics	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
16	Ophthalmology	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
18	Obstetrics & Gynecology	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Anesthesia	1	-	-	-	1	-	1	-	2+1F	1	1	-	-	-	-	-
20	Radio Diagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। प्रदर्शक/ट्यूटर के पद हेतु एम.बी.बी.एस. अनिवार्य है एवं अन्य समस्त पदों हेतु एम.बी.बी.एस., एम.डी./एम.एस. अनिवार्य होगी।

1. वेतनमान	-	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	-	37400-67000 +ग्रेड-पे 10000 +डी.ए.
सह प्राध्यापक	-	37400-67000 +ग्रेड-पे 9000 +डी.ए.
सहायक प्राध्यापक	-	15600-39100 +ग्रेड-पे 7000 +डी.ए.
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	15600-39100 +ग्रेड-पे 6000 +डी.ए.

क्रमशः पेज 02 पर

*me*

2. आयु सीमा	-	न्यूनतम
प्राध्यापक	-	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	-	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	-	25 वर्ष
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	22 वर्ष

टीप :- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाले तिथि के पश्चात आने वाले 1 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- आर्हतायें :-
  - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- निरर्हतायें :-
  1. विकृत चित्त वाला होने पर।
  2. दुश्चरित्र होने पर।
  3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  4. नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
  5. विवाह संबंधी :- जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
  6. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।
  7. कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  8. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  9. स्वास्थ्य संबंधी :- चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

10. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लेना होगा।
11. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिए आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
13. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस वावतु सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
14. म.प्र. शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रति नियुक्ति के लिए मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
15. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2019 सायं 05:00 तक कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म0प्र0) पिन :- 484001 में प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।
18. महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

*Me*

67/612019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)